

वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980

के अन्तर्गत भारत सरकार,

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की

स्वीकृति प्राप्त करने हेतु वन भूमि

हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित करने

के प्रपत्र / प्रमाण पत्र

विषय सूची

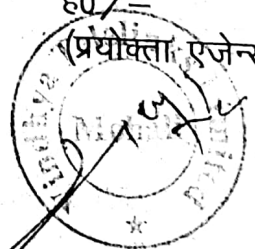
क्र.सं.	प्रमाण-पत्र/अन्य सूचनायें	पृष्ठ सं.
1.	प्रतिवेदन	1
2.	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति	2, 49
3.	भारत सरकार के प्रपत्र (I से V)	3 से 8
4.	संगुक्त निरीक्षण रिपोर्ट	10
5.	प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या (SIR) (प्रपत्र-5)	—
6.	प्रभावित वन भूमि का लैण्ड शैड्यूल	9
7.	परियोजना की लम्बाई चौड़ाई का विवरण	14
8.	प्रभावित वृक्षों एवं वास्तविक रूप से पातन किये जाने वाले वृक्षों की सूची	20
9.	काटे जाने वाले वृक्षों की मूल्य सूची एवं आउट-टर्न	—
10.	बांज प्रजाति के वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र	—
11.	राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य सम्बन्धी प्रमाण-पत्र	15
12.	परियोजना स्थल की राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से हवाई दूरी का प्रमाण-पत्र	16
13.	प्रस्तावित परियोजना का 1:50,000 के पैमाने का डिजीटाईस एवं जियो रिफरेंस मानचित्र	56
14.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का मानचित्र एवं प्राक्कलन एवं उपयुक्तता प्रमाण-पत्र	48
15.	परियोजना का वार चार्ट	18
16.	प्रस्तावित परियोजना से वृक्ष प्रभावित होने अथवा न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण-पत्र	20
17.	प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र एवं प्राक्कलन	—
18.	वैकल्पिक सगरखणों को मानचित्र पर प्रदर्शित कर उनके निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र	—
19.	आम सभा का प्रमाण-पत्र	12
20.	परियोजना का कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र	24
21.	भू-वैज्ञानिक की आख्या (प्रतिवेदन सहित)	25
22.	भू-वैज्ञानिक एवं जिला टास्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र	26
23.	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र	29
24.	जिलाधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की माँग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र	30
25.	धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र	31
26.	लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र	32
27.	रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण हेतु देय धनराशि का प्रमाण-पत्र	—
28.	पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)	33
29.	वन भूमि के मूल्य/लीज रेंट का प्रमाण-पत्र	34
30.	मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की दरों में वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप बढ़ी हुई धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र	35
31.	एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र	—
32.	लागत लाभ विशलेषण प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)	—
33.	प्रस्तावित स्थल, स्थल विशिष्ट होने अथवा न होने का प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)	36
34.	परियोजना के निर्माण से उत्पादित मलवा निस्तारण की योजना सम्बन्धी प्रमाण-पत्र	37
35.	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण-पत्र	38-39
36.	आर0सी0सी0 पिलरों के सीमांकन का प्रांकलन एवं देय धनराशि का प्रमाण-पत्र	—
37.	लीज अवधि का प्रमाण-पत्र	40
38.	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र	42
39.	अन्य प्रमाण-पत्र / ले-आऊट प्लान एवं आंकलन / प्राक्कलन	—
40.	फैक्ट शीट	46

परियोजना का नाम:-जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Bairatkhai to Yamuna Bridge (Total Length-32.00 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित सिविल एवं सोयम वनभूमि 0.96 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

प्रतिवेदन

(परियोजना के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण)

RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Bairatkhai to Yamuna bridge (Total Length-32 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु (अनुमानित लागत -रु० 192.00 लाख) - जनपद- देहरादून में Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Panjab) द्वारा प्रस्तावित इस परियोजना के अन्तर्गत Bairatkhai to Yamuna bridge तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु 0.96 है० वन भूमि प्रस्तावित की गयी है। इस परियोजना से जनपद के लगभग सभी वासियों को ब्राडबैंड, मोबाईल, लैण्ड लाईन तथा कई और उच्च तकनीकी संचार सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

ह०/-
(प्रयोक्ता एजेन्सी)


परियोजना का नाम:—जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Bairatkhai to Yamuna Bridge (Total Length-32.00 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित सिविल एवं सोयम वनभूमि 0.96 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यो हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Panjab) को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश

संलग्न है।

ह० /—

प्रयोक्ता एजेन्सी



फार्म "क"

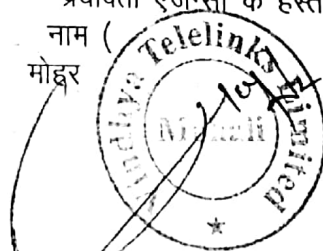
राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म
भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

क.स.	विवरण	क्रियान्वयन
1.	परियोजना विवरण :- क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Bairatkhai to Yamuna Bridge (Total Length-32.00 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर कॉबल बिछाने हेतु।
	ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है।
	ग) परियोजना की लागत।	रु0 192.00 लाख
	घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	दूरसंचार सेवा प्रदान करना।
	ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	लागू नहीं।
	च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	प्रस्तावित परियोजना के निर्माण के दौरान स्थानीय कुशल /अकुशल श्रमिकों को रोजगार मिलेगा।
2.	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:-	0.96 है0 वन भूमि
3.	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।	नहीं
	क)परिवारों की संख्या	शून्य
	ख)अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	शून्य
	ग)पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	शून्य
4.	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है? (हां/नहीं)	हाँ
5.	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)	भारत सरकार /उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु लगायी जाने वाली समस्त शर्तों का पालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
6.	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों /दस्तावेजों का व्यौरा।	संलग्न है।

दिनांक.....
स्थान.....

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर
नाम ()
मोहर



प्रस्ताव की कम संख्या.....
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

भाग - II

(संबन्धी उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

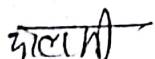
प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

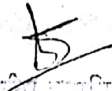
7	परियोजना स्कीम का स्थान	परियोजना का नाम : जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी के अन्तर्गत RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Bairatkhali to Yamuna Bridge (Total Length-32 KM) तक मोटर 0.96 है वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वाणिज्यी कार्य हेतु Vindhya Telelinks Limited, FPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।
(i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	देहरादून
(iii)	वन प्रभाग	चकराता वन प्रभाग
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेअर में)	0.96 हेक्टर वन भूमि
(v)	वन की कानूनी स्थिति	0.00 हेक्टर, आरक्षित वन भूमि कालसी कक्ष सं-27 0.96 हेक्टर सिविल सोयम भूमि 0.00 हेक्टर वंजर 0.00 हेक्टर नापभूमि
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.1
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंवाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.-2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल.-4 मीटर भी संलग्न किये जाएं)	प्रस्तावित कार्य स्थल पर कोई वृक्ष बाधित/प्रभावित होने निहित नहीं है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	---
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित/चयनित कार्य स्थल सिविल एवं सोयम वन के अन्तर्गत है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है।(यदि हां, क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाएं)	नहीं। इस बावत प्रस्तावक/कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं०-..... पर चरखा है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है। यदि हां तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें।	नहीं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं। इस बावत प्रस्तावक / कार्यदायी संस्था एवं राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं०-..... पर चरखा है।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के व्यौरों के साथ मद-वार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	इस बावत प्रस्तावक/ कार्यदायी संस्था एवं वन विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं०-..... पर चरखा है।

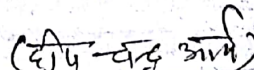
9.	क्या अभिनियम के तत्त्वधन में कोई कार्य है (हां/नहीं) यदि हा. तो कार्य की अव अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दे क्या उत्तरधन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	अपेक्षित वन भूमि की मांग 1.00 हे० से कम है। अतः प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्रावकलन प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं० - पर चरसा है।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	चूंकि अपेक्षित वन भूमि की मांग 1.00 हे० से कम है। अतः प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्रावकलन प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं० - 42 से पर चरसा है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़ी भूमि पर उचित वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल को 1:50000 पैमाने के टोपोग्राफी मानचित्र पर प्रदर्शित किया गया है। तथा स्थलीय / लोकेशन मानचित्र प्रावकलन के साथ संलग्न है।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	प्रजातियां:- जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियां। कार्यान्वयन एजेंसी:- स्वयं वन विभाग। समय:- उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर। लागत:- प्रस्तावित निर्माण कार्य के बदले प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु रु० 3,65,439/- (रु० 3.65,439/- मात्र) का प्रावकलन प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं० - से पर चरसा है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	हेतु रु० 3,65,439/- (रु० मात्र)
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	प्रावकलन एवं मानचित्र प्रतिहस्ताक्षरित व प्रमाणित है।
11.	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 गणप गणपद्ध 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधीनस्थ वन अधिकारियों, फील्ड स्टाफ, राजस्व एवं प्रस्तावक विभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षरित करके के संलग्नक पृष्ठ सं० - 4 पर चरसा है।
12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	चक्राता वन प्रभाग/जिला - देहरादून
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	308800 वर्ग कि०मी०
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	211691 वर्ग कि०मी०
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 469 है। वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल 6333.92 हे० वन क्षेत्र है० है। इसमें आरक्षित वन क्षेत्र 4308.09 हे० है।
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :- (ख) वनेतर भूमि पर:-	(क) 4308.09 हैक्टेयर (ख) 768.59 हैक्टेयर
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति:- (क) वन भूमि पर (ख) वनेतर भूमि पर	(क) 4308.09 हे० जिले के अंतर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है। (ख) 768.59 हैक्टेयर
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रजनन क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावक/ कार्यदायी संस्था के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव में विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर

दिनांक: - -2017।

स्थान:- 


उप-प्रभारी वन प्रभाग
चक्राता वन प्रभाग
देहरादून

नाम:- 
सरकारी मुहर प्रभाग वन प्रभाग
चक्राता वन प्रभाग
देहरादून

भाग- III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

- 14- स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है
क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण
किया है ? (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की
तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट
के रूप में संलग्न करें।
- 15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी
सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से
सहमत है।
- 16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में
सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों
के साथ विशेष सिफारिशें।

तिथि.....
स्थान.....

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष,
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

- 17- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने
या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की
विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।
(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक
अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल
टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय
और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

हस्ताक्षर:

तिथि :
स्थान :

नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

भाग-V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

- 17- राज्य सरकार की सिफारिश
(उपर्युक्त भाग-II या भाग-III या
भाग-IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी
द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर
विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

हस्ताक्षर

तिथि :
स्थान :

नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

परियोजना का नाम:—जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में
 RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx
 35 Poles per KM) from Bairatkhai to Yamuna Bridge (Total
 Length-32.00 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर
 केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित सिविल एवं सोयम वनभूमि 0.96 है० वन
 भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों
 हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area,
 Mohali(Panjab) को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का
 प्रस्ताव ।

लैन्ड शेड्यूल

(वन विभाग)

जिला	प्रभाग / रेंज का नाम	वन ब्लॉक	लम्बाई (मी०)	चौड़ाई (मी०)	क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	क्षेत्रफल (हे०)
देहरादून	चकराता वन प्रभाग / रीवर रेंज	कालसी	रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त

De River
 वन क्षेत्राधिकारी
 रीवर रेंज
 डाकपत्थर

[Signature]
 उप-प्रभारी वन अधिकारी
 चकराता वन प्रभाग
 कालसी

ह०/ जमागील वनाधिकारी
 प्रभागीय वनाधिकारी
 चकराता (देहरादून)

परियोजना का नाम:- जनपद देहात, (राष्ट्रीय मार्ग) / राजस्व विभाग
 सख्या) के कि०मी० से कि०मी० तक के मार्ग की दायी/बायी पट्टी पर
 आरक्षित / वन क्षेत्र से भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक को उपरोक्त प्रयोजन हेतु, संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही में वन विभाग की ओर से श्री फ़ैमल नय्यर जलिलोला व० ३१० राजस्व विभाग / नगर पालिका परिषद मसूरी की ओर से जीवन सिंह, श्रीमदन अह प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री जोहन सिंह द्वारा भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु, आरक्षित वन भूमि NIL हो, प्राईवेट फारेस्ट भूमि-NIL हो, सिविल एवं सोयम वन भूमि ०.१६ हो, वन पंचायत भूमि NIL हो एवं गाम भूमि NIL हो प्रभावित होती है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है। दि 7-10-2017

वैराट खाई	यमुना पुल	सिविल क्षेत्र	32 कि० मी०

(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना है)..... प्रस्तावित वन भूमि के अन्तर्गत कोई वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

ह०/-

अंजली

(प्रयोक्ता एजेन्सी)

ह०/-

०९/१०/१७
RSI. Jach.

राजस्व विभाग प्रतिनिधि

०९/१०/१७
RSI. Jach.

ह०/-

अंजली
०९/१०/१७

वन क्षेत्राधिकारी

वन विभाग प्रमुख

अंजली

उप-निरीक्षक
 वन विभाग
 कालसी

प्रति हस्ताक्षरित

जिलाधिकारी

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी

↓

अंजली
०९/१०/१७
RSI. Jach.

अंजली
०९/१०/१७
RSI. Jach.

अंजली
०९/१०/१७
RSI. Jach.
 कालसी

वन अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- नवी

तहसील- बालासी

जिला- देहरादून

परियोजना का नाम- जलपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड जौनपुर अन्तर्गत RoW permission for laying Optical Fibre-Cable Aerial (approx. 35 poles per km.) from Baadwala Chowk-Chakrata-Yamuna bridge Total length ~~32.00~~ 32.96 km.) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.96 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु VINDIYA TELELINKS LIMITED, EPC DIVISION, INDUSTRIAL AREA, PHASE-8B MOHALI (PUNJAB) को भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

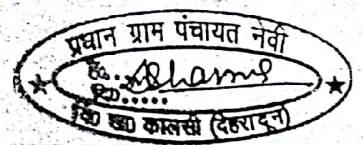
उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नवी द्वारा दिनांक 10/10/2017 को संपन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आभेदित वन भूमि के सम्वन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के तहत आभेदित वनभूमि के आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वनभूमि में आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आभेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों का परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम के ग्रामवासियों को उक्त परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.96 है० (वन स्वरूप) वंजर भूमि का (संरक्षण) 1980 के तहत गैरवानिकी कार्य हेतु VINDIYA TELELINKS LIMITED, EPC DIVISION, INDUSTRIAL AREA, PHASE-8B MOHALI (PUNJAB) के पक्ष में ऑप्टिकल फाईबर बिछाये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

है०

ग्राम सचिव

मोहर सहित



ग्राम प्रधान

मोहर सहित

परियोजना का नाम-जनपद दिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड जौनपुर अन्तर्गत RoW permission for laying Optical Fibre Cable Aerial (approx. 35 poles per km.) from Baadwala Chowk- Chakrata-Yamuna bridge Total length ^{0.76} 32.00 km.) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु आपेक्षित ^{2.865} है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु VINDIYA TEELINKS LIMITED, EPC DIVISION, INDUSTRIAL AREA, PHASE-8B MOHALI (PUNJAB) को भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

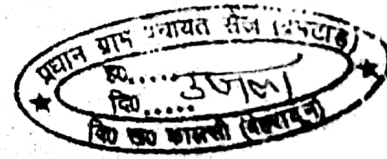
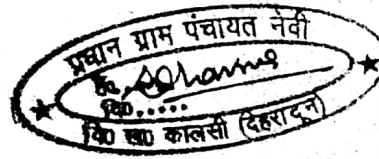
आम सभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र

संलग्न है।

प्रधान / सरपंच

मोहर

प्रधान 10/10/2017
ग्राम पंचायत उदपाल्टा
दि० ख० कालसी (देहरादून)



मीराट

प्रधान
ग्राम पंचायत सेंज
ख. ख. कालसी, देहरादून

दिनांक को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम सभा - बंगलों की काण्डी

क्रमांक	ग्रामसभामें उपस्थित विरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	Rajendra Singh	राजेंद्र सिंह
2	Deewan Singh	दीवान सिंह
3	Muna Singh	मून सिंह
4	Kundan Singh	कुन्दन सिंह
5	Rohit Singh	रोहित सिंह
6	Bhawan Singh	भवना सिंह
7	Pratap Singh	प्रताप सिंह
8	Man Singh	मन सिंह
9	Shilpa Khosla	शीला खोसला
10	Paresh Khosla	पाresh खोसला
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		

परियोजना का नाम:-जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Bairatkhai to Yamuna Bridge (Total Length-32.00 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित सिविल एवं सोयम वनभूमि 0.96 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यो हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

लैन्ड शेड्यूल

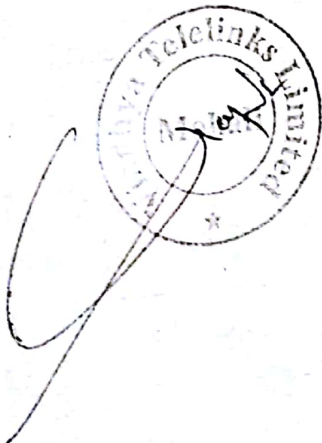
(सिविल एवं सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि) का लैन्ड शेड्यूल के लिये (राजस्व विभाग)/ जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र

जिला	तहसील	ब्लाक	भूमि का प्रकार	खसरा सं०	लम्बाई (मी०में)	चौड़ाई (मी०में)	याचित क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	याचित क्षेत्रफल (हे०)
देहरादून	कालसी	कालसी	सिविल		32000.00	0.30	9600.00	0.96
			नाप		रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त
			कुल योग :-				32000.00	0.30

ह०/-

ह०/-

जिलाधिकारी



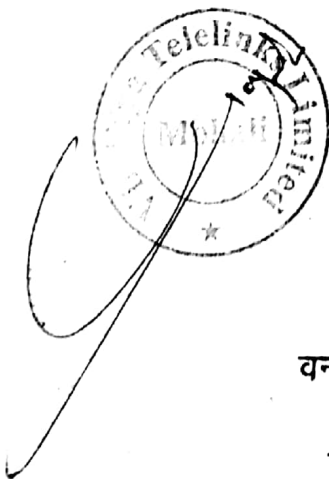
परियोजना का नाम:-जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Bairatkhai to Yamuna Bridge (Total Length-32.00 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित सिविल एवं सोयम वनभूमि 0.96 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु अपेक्षित वन भूमि जो
..... रेंज के अन्तर्गत अवस्थित है। किसी राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, हाथी कोरीडोर, राष्ट्रीय पार्क/वन्य अभ्यारण्य आदि का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावित भूमि/क्षेत्र में दुर्लभ वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न विशिष्ट प्रजातियां नहीं पायी जाती है।

ह०/प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
चतुर्थांश प्रभाग
कालसी



वन क्षेत्राधिकारी
रीवर रेंज
डाकपत्थर

परियोजना का नाम:-जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में
 RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx
 35 Poles per KM) from Bairatkhai to Yamuna Bridge (Total
 Length-32.00 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर
 केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित सिविल एवं सोयम वनभूमि 0.96 है0 वन
 भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों
 हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area,
 Mohali(Panjab) को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का
 प्रस्ताव।

प्रस्तावित स्थल की राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से (हवाई) दूरी का प्रमाण-पत्र
प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना स्थल राष्ट्रीय पार्क/ वन्य जीव अभ्यारण्य से
 हवाई दूरी लगभग किमी0 / 25 किमी0 है।



[Signature]
[Signature]
 वन क्षेत्राधिकारी

डाकघर

ह0/
 प्रभागीय वनाधिकारी

[Signature]
 उप-प्रभागीय वनाधिकारी
 चक्रवर्ती का प्रभाग
 कालसी

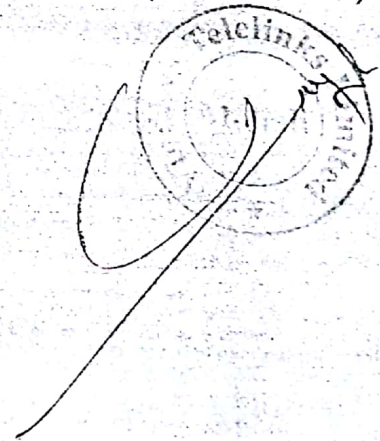
परियोजना का नाम:-जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Bairatkhai to Yamuna Bridge (Total Length-32.00 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित सिविल एवं सोयम वनभूमि 0.96 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

प्रस्तावित परियोजना का स्थल मानचित्र

प्रस्तावित परियोजना का 1:50000 पैमाने की टोपोशीट एवं डिजीटल एवं जियो-रिफरेंशन मानचित्र जिसमें आरक्षित वन को हरे रंग से, सिविल वन भूमि को पीले रंग से, वन पंचायत भूमि को नीले रंग से, व नाप भूमि को अन्य रंग से, प्रस्तावित समरेखण को लाल रंग से दर्शाया गया है।

(प्रयोक्ता एजेन्सी)

(प्रयोक्ता एजेन्सी)



परियोजना का नाम:-जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में
RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial
(Approx 35 Poles per KM) from Bairatkhai to Yamuna
Bridge (Total Length-32.00 KM) तक मोटर मार्ग के
किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित
सिविल एवं सोयम वनभूमि 0.96 है० वन भूमि का वन
(संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु
Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial
Area, Mohali(Panjab) को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति
दिये जाने का प्रस्ताव।

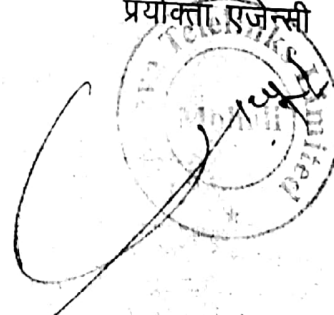
बारचार्ट

मी०

---	32000.00	---	---

आरक्षित वन भूमि	
सिविल एवं सोयम वन भूमि	
वन पंचायत भूमि	
नाप भूमि	

ह० /
प्रयोक्ता एजेन्सी



परियोजना का नाम:—जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Bairatkhai to Yamuna Bridge (Total Length-32.00 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित सिविल एवं सोयम वनभूमि 0.96 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर तानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु वॉछित धनराशि वन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

ह० / -
(प्रयोक्ता एजेन्सी)



परियोजना का नाम:—जनपद देवास विकास खण्ड कालसी में
 RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx
 35 Poles per KM) from Bairatkhai to Yamuna Bridge (Total
 Length-32.00 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर
 केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित सिविल एवं सोयम वनभूमि 0.96 है० वन
 भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों
 हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area,
 Mohali(Panjab) को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का
 प्रस्ताव।

प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त
प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण में कोई वृक्ष बाधित/प्रभावित होने निहित
 नहीं है।

[Signature]
 20 River
 C.F. Division

[Signature]
 उप-प्रभागीय वनाधिकारी
 चण्डिका प्रभाग
 देवास

ह०/-
 प्रभागीय वनाधिकारी

परियोजना का नाम:-जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Bairatkhai to Yamuna Bridge (Total Length-32.00 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित सिविल एवं सोयम वनभूमि 0.96 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव ।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

रिक्त

ह०/-
प्रधान/सरपंच
मोहर

ह०/-
प्रधान/सरपंच
मोहर

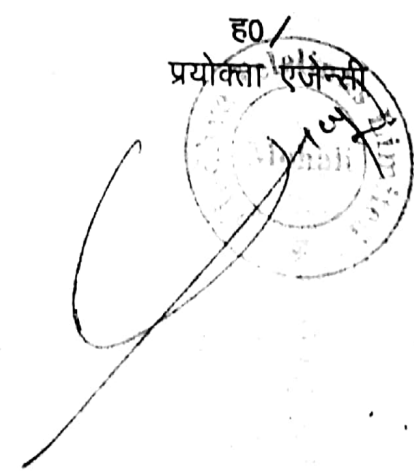
परियोजना का नाम:-जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Bairatkhai to Yamuna Bridge (Total Length-32.00 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित सिविल एवं सोयम वनभूमि 0.96 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

परियोजना की लम्बाई-चौड़ाई का प्रमाण-पत्र।

जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी के अन्तर्गत मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित सिविल वन भूमि की लम्बाई-32000.00 मीटर, चौड़ाई-0.30 मीटर कुल 9600.00 वर्ग मीटर अर्थात 0.96 है० तथा नाप भूमि में लम्बाई- 0 मीटर, चौड़ाई- 0 मीटर कुल 0 वर्ग मीटर अर्थात 0 है० कुल लम्बाई 32000.00 मी० चौड़ाई-0.30 मी० जिसका कुल क्षेत्रफल 9600.00 वर्ग मी० अर्थात 0.96 है० है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

भूमि का प्रकार	लम्बाई (मी० में)	चौड़ाई (मी० में)	क्षेत्रफल (वर्ग मी० में)	क्षेत्रफल (है० में)
आरक्षित वन	—	—	—	—
सिविल एवं सायम भूमि	32000	0.30	9600.00	0.96
वन पंचायत भूमि	—	—	—	—
कुल वन भूमि	32000	0.30	9600.00	0.96
नाप भूमि	—	—	—	—
कुल भूमि	32000	0.30	9600.00	0.96

ह०/
प्रयोक्ता एजेंसी



परियोजना का नाम:—जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Bairatkhai to Yamuna Bridge (Total Length-32.00 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित सिविल एवं सोयम वनभूमि 0.96 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव ।

वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र।

प्रस्तावित परियोजना हेतु अन्य वैकल्पिक समरेखण न होने के कारण अन्य वैकल्पिक समरेखणों पर विचार नहीं किया गया। प्रस्तावित समरेखण को उचित पाया गया जो कि प्रस्तावित है।

ह० /
प्रयोक्ता एजेन्सी

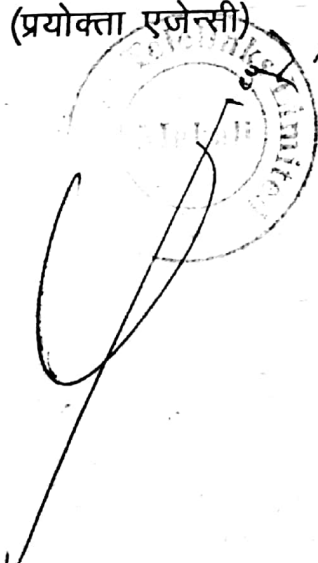


परियोजना का नाम:-जनपद देहरादू विकास खण्ड कालसी में
 RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx
 35 Poles per KM) from Bairatkhai to Yamuna Bridge (Total
 Length-32.00 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर
 केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित सिविल एवं सोयम वनभूमि 0.96 है० वन
 भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों
 हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area,
 Mohali(Panjab) को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का
 प्रस्ताव ।

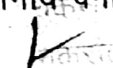
कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता /कार्यदायी संस्था /एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई
 निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अर्न्तगत स्वीकृति प्राप्त
 होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

ह०/-
 (प्रयोक्ता एजेन्सी)



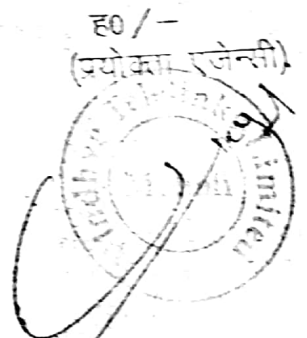

 वन-प्रशासक वनाधिकारी
 चक्रवर्ती का प्रभाग
 कालसी

ह०/-
 प्रभागीय वनाधिकारी


परियोजना का नाम:—जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Bairatkhai to Yamuna Bridge (Total Length-32.00 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित सिविल एवं सोयम वनभूमि 0.96 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

भू-वैज्ञानिक की आख्या

प्रस्तावित परियोजना हेतु भू-वैज्ञानिक की आख्या की आवश्यकता नहीं है।

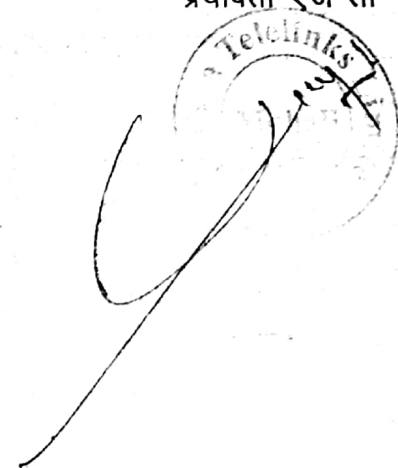
ह०/-
(प्रयोक्ता एजेंसी)


परियोजना का नाम:—जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Bairatkhai to Yamuna Bridge (Total Length-32.00 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित सिविल एवं सोयम वनभूमि 0.96 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव ।

भू-वैज्ञानिक / जिला टॉस्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र ।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू-वैज्ञानिक/जिला टॉस्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों/शर्तों का निर्माण कार्य के दौरान प्रस्तावक विभाग द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा ।

ह०/
प्रयोक्ता एजेन्सी



Task Force Certificate

- (i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
- (ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
- (iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
- (iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

- (i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
- (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in rock. Use of delay detonators in large scale blasting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
- (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made
- (v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with good results.

- (vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की उपरोक्त संस्तुतियाँ याचक विभाग को मान्य हैं।

ह0/-

प्रयोक्ता एजेन्सी



वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख-रखाव के दौरान प्रस्तावक/कार्यदायी संस्था द्वारा वन्य जीव/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी

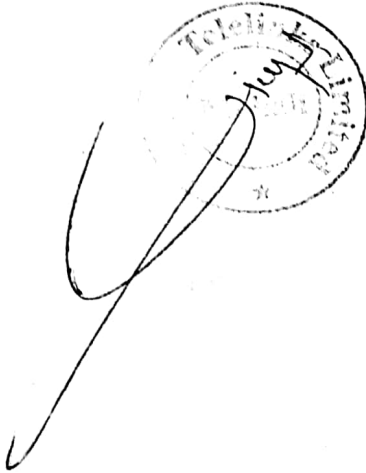


अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा याचित 0.96 है० वन भूमि की मांग न्यूनतम है इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

ह० /

प्रयोक्ता एजेन्सी

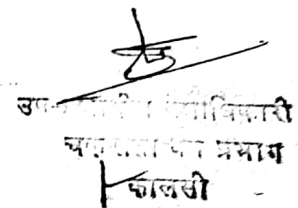


ह० /

प्रभागीय वन अधिकारी
प्रभागीय वन अधिकारी
करता दिहता

ह० /

जिलाधिकारी



जिलाधिकारी
चक्रवर्ती का प्रमाण
फाल्गुनी

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

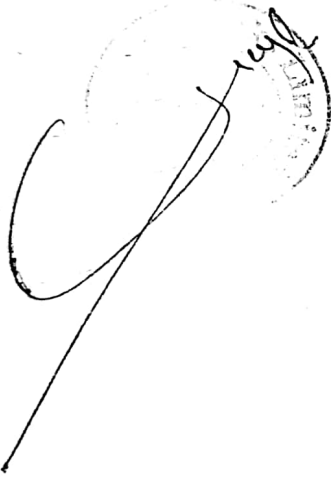
प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई है।

ह0/
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

ह0/-
प्रभागीय स्वामिनी अधिकारी
चक्राता (विहाराबाद)

ह0/-
जिलाधिकारी



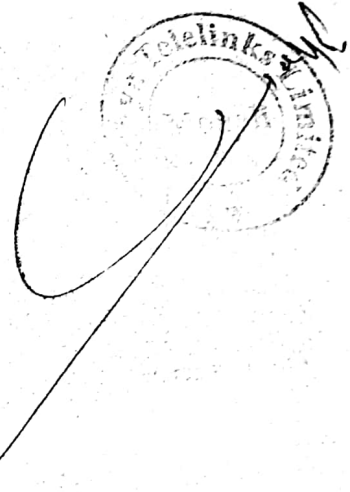
उप-जिलाधिकारी
चक्राता (विहाराबाद)
कामती

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों/ परिवारों/जनसंख्या एवं पर्यटकों को लाभ प्राप्त होगा।

ग्राम	परिवार	जनसंख्या
नेवी	266	1339
.....		
.....		

प्रयोक्ता एजेन्सी



पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो प्रयोक्ता एजेन्सी पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी। -

- ४०/-
प्रयोक्ता एजेन्सी



पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो प्रयोक्ता एजेन्सी पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।

- ८०/-
प्रयोक्ता एजेन्सी



वन भूमि के मूल्य का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रयोजन हेतु 0.96 है० वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य रुपये रिक्त प्रति है० है तथा वन भूमि का कुल मूल्य रु०.....होता है तथा वार्षिक लीज रेंटप्रतिशत की दर सेरु० होता है।

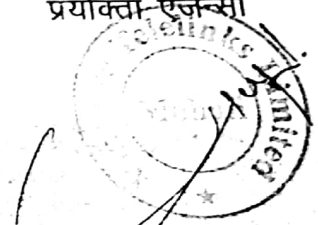
----- रिक्त -----

ह०/-
जिलाधिकारी

एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन0पी0वी0 की देय धनराशि प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि भी प्रस्तावक विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।

ह0/-
प्रयोक्ता-एजेन्सी



स्थल विशिष्ट होने न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल स्थलीय विशिष्ट नहीं है।

ह0/-

प्रभागीय वनाधिकारी

ह0/

जिलाधिकारी,

मलवें के निस्तारण का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण से उत्पादित मलवे को कैंविल लाईन को दबाने आदि पूर्णतया इस्तेमाल किया जायेगा तथा उत्पादित मलवे को आस-पास की वन भूमि में नहीं फेंका जायेगा। अतः मक डिस्पोजल प्लान बनाने की आवश्यकता नहीं है।

ह0/-

प्रयोक्ता एजेन्सी

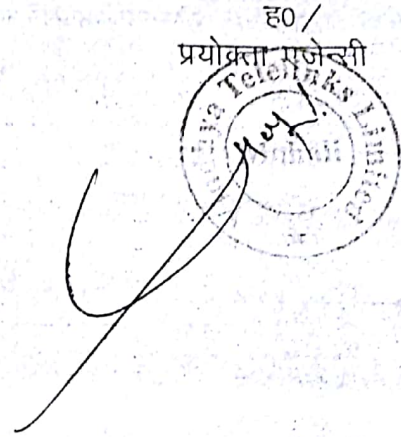


मानक शर्तें:

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके याचक विभाग सहमत हैं।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देर-रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नहीं हाँगा।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः विना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः विना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाइनमेंट तब होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्व0 क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी प्रस्तावक द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उ0प्र0 वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बाँज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।

15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों को उँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टियों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य है।

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी
The Telecoms Limited


लीज अवधि का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि 30 वर्षों की लीज पर ली जा रही है।

ह0/-
प्रयोक्ता एजेन्सी



परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी तेल / कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने
का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी तेल / कुकिंग गैस की आपूर्ति जिला आपूर्ति अधिकारी के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

ह0

प्रयोक्ता एजेन्सी



कार्यालय – जि देहरादून
जनपद – देहरादून

दिनांक –

पत्रांक /

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जनजातीय व्यक्ति एवं पारम्परिक वन निवासी
हेतु गठित जिलास्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त:-

दिनांक को जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत गठित जिलास्तरीय समिति में जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी के अन्तर्गत RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Bairatkhai to Yamuna Bridge (Total Length-32 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.96 है० वन भूमि को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया, जिस हेतु 0.96 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Panjab) को प्रत्यावर्तित/लीज पर दिये जाने सम्बन्धित ग्राम सभा / ग्राम पंचायत एवं उपखण्ड समिति द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नगत प्रयोजन हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एवं संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उप जिलाधिकारी देहरादून की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त 0.96 है० आरक्षित वन भूमि जो कि वन विभाग के रीवर रेंज के अन्तर्गत आती है, पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है। उप जिलाधिकारी, देहरादून की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।

()
जिला समाज कल्याण अधिकारी
देहरादून

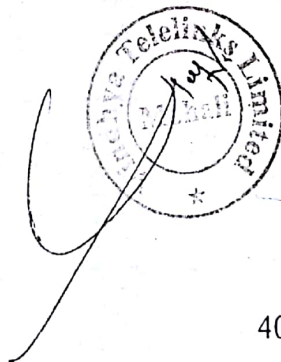
(प्रभागीय वनाधिकारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

()
जिलाधिकारी
देहरादून

प०सं०...../...../दिनांक

प्रतिलिपि –को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
देहरादून।



कार्यालय - उप जिला देहरादून
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, कालसी, देहरादून

उपखण्ड कालसी, देहरादून परिक्षेत्र के चकराता वन प्रभाग की रीवर रेंज के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी के अन्तर्गत RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Bairatkhai to Yamuna Bridge (Total Length-32 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.96 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) के पक्ष में 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील -) की दिनांक..... को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री उप जिलाधिकारी अध्यक्ष।
2. श्री उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य।
3. श्री सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य।
4. श्री वी०डी०सी० क्षेत्र सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि चकराता वन प्रभाग के रीवर रेंज अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी के अन्तर्गत RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Bairatkhai to Yamuna Bridge (Total Length-32 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.96 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) के पक्ष में 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी (देहरादून) मसूरी वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा रही है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कालसी परिक्षेत्र के अन्तर्गत चकराता वन प्रभाग के रीवर रेंज अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी के अन्तर्गत RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Bairatkhai to Yamuna Bridge (Total Length-32 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.96 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Panjab) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील..... / जनपद.....

प्रतिलिपि - जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

उप जिलाधिकारी, द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी के चकराता वन प्रभाग के रीवर रेंज अन्तर्गत RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Bairatkhai to Yamuna Bridge (Total Length-32 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.96 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यो हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) के पक्ष में 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पत्र सं० 11-२ /९९-एफ०सी० दिनांक 05-02-2012 के द्वारा सड़क निर्माण, पारेषण लाईन, ओ०एफ०सी० कैंबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त रखा गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित/आंबटित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आंबटित 0.96 है० वन भूमि /बंजर कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे है।

/प्रयोक्ता

उप जिलाधिकारी



वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम -

तहसील -

ज़िला - देहरादून ।

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी के चकराता वन प्रभाग के शीवर रेंज अन्तर्गत RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM) from Kalsi Yamuna Bridge to Kalsi 28 (Total Length-13.5 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.405 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) के पक्ष में 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक..... को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम के ग्रामवासियों को उक्त परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.405 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) के पक्ष में 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

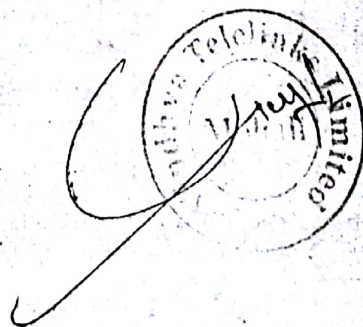
प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०

ग्राम सचिव
मुहर सहित

ह०

ग्राम प्रधान
मुहर सहित



फैक्ट शीट

1. प्रभावित भूमि की वैधानिक स्थिति के अनुराशी क्षेत्रफल (है० मे०) :-

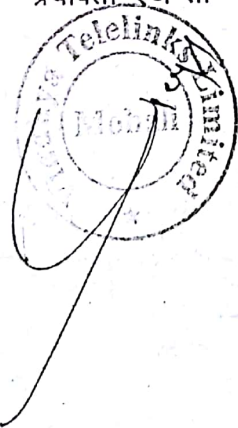
आरक्षित वन भूमि (वन विभाग)	-	0.00 है०
वन पंचायत भूमि	-	0.00 है०
सिविल सोयम भूमि	-	0.96 है०
निजी / नाप भूमि	-	0.00 है०
योग	-	0.96 है०
2. प्रस्तावक विभाग का नाम -Vindhya Telelinks Limited, EPC Division,
- Industrial Area,**
- Mohali(Panjab)**
3. वन प्रभाग का नाम चकराता वन प्रभाग
4. प्रस्ताव वाईडिंग किया है। - हों / नहीं
5. प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है। - हों / नहीं
6. क्या भारत सरकार द्वारा निर्धारित के प्रारूप के भाग-- 1, 2 व 3, के सभी बिन्दुओं की भरी गई है। - हों / नहीं
7. क्या प्रारूप में वाछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है। - हों / नहीं
8. प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है। - हों / नहीं
9. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची / प्रमाण-पत्र संलग्न है। - हों / नहीं,
10. बॉज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है। - लागू नहीं।
11. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है। - लागू नहीं।
12. समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची है। - लागू नहीं।
13. क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है। - हों / नहीं
14. क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है। - (लागू नहीं है)
15. क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है। - लागू नहीं।
16. प्रस्तावित मार्ग के दोनो ओर /परियोजना स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण योजना संलग्न है। - हों / नहीं
17. क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। - हों / नहीं
18. प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है यदि हों तो मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक का प्रमाण-पत्र संलग्न है। - हों / नहीं
19. क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है। - हों / नहीं
20. प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित

- मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनारया जाना है, तो पूर्व में जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें।
21. क्या मानचित्र में प्रमाणित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-अलग रंगों से भरा गया है। - हाँ / नहीं
22. यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है। - हाँ / नहीं
23. क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है। - हाँ / नहीं
24. यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्व स्थिति वर्णित करते हुए दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय। - हाँ / नहीं
25. सड़क निर्माण हेतु तलाशी गयी अन्य सम्भावनाएँ / वैकल्पिक समरेखण मानचित्र मानचित्र पर दर्शाये गये हैं। - हाँ / नहीं
26. वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय) - हाँ / नहीं
27. लागत-लाभ विशलेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है (5.00 है0 से अधिक के प्रकरणों में लागू) - हाँ / नहीं (लागू नहीं है)
28. मानचित्र व बारचार्ट में एकरूपता है - हाँ / नहीं
29. मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है - हाँ / नहीं
- अथवा
- मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र संलग्न है। - हाँ / नहीं
30. राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न है। - हाँ / नहीं
31. क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटों प्रतियां मूल में संलग्न है यदि छायाप्रतियां संलग्न की गयी हैं। - हाँ / नहीं
32. यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र संलग्न है। - हाँ / नहीं
33. वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है। - हाँ / नहीं
34. क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है - हाँ / नहीं
35. क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न है। - हाँ / नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फॉर्म शीट चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है समस्त प्रमाण-पत्र / सूचनाएँ संलग्न कर दी गयी हैं।

ह0/-

प्रयोक्ता एजेन्सी



ह0/-

प्रभागीय वनीधिकारी
चक्रवर्ती वन प्रमाण
प्रस्ताव विहराक्ष

प्रारूप -43

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Bairatkhai to Yamuna Bridge (Total Length-32.00 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित सिविल एवं सोयम वनभूमि 0.96 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ...स्थल वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ...स्थल
(क्षति) माद्रे, अर्द्ध रज्जि पे (हमारे) पे (क्षति)
अपेक्षा, 0.9642 = 1.93 ई. ए। 10333 = 10
= 365,439 = 36 पे 365,439 = 10
ह0/-

प्रभागीय वनाधिकारी



उप-प्रभागीय वनाधिकारी
चक्रावत नारायण
कालसी

प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी

वन क्षेत्राधिकारी
रीवर रेंज
डाकपत्थर

10-46/2010- CS-III
Government of India
Ministry of Communications & IT
Department of Telecommunications
Sanchar Bhavan, 20 - Ashoka Road
New Delhi - 110001



Dated : 11.10.2010

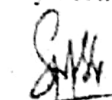
M/s VINDHYA TELELINKS LIMITED
PLOT NO. 1C & D, UDYOG VIHAR, P.O. CHORHATA,
REWA - 485006

Subject: Registration Certificate for Infrastructure Provider Category-I (IP-I)

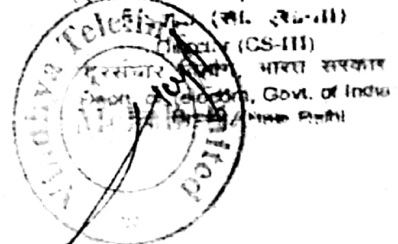
Please find enclosed herewith the Registration Certificate No.342 /2010 dated 11.10.2010 issued to M/s Vindhya Telelinks Limited.

The following points should be noted for strict compliance by IP-I Provider:

- (i) The scope of IP-I provider is limited to establish and maintain assets such as Dark Fibres, Right of Way, Duct Space and Tower for the purpose to grant on lease/rent/sale basis only to the licensed Telecom Service Providers licensed under Section - 4 of Indian Telegraph Act, 1885, on mutually agreed terms and conditions.
- (ii) The IP-I provider has to submit to DoT a copy of agreement entered into with the licensed Telecom Service Providers within 15 days of signing such agreement.
- (iii) Any breach of the terms and conditions given in the enclosed Registration Certificate will lead to cancellation of the registration without any further notice.

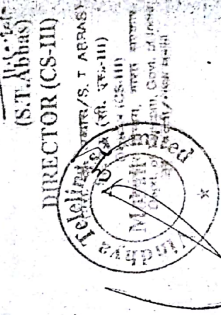

(11.10.2010)
(S.T.Abbas)
Director (CS-III)

(एस. टी. अब्बास / S. T. ABBAS)



- 6.0 The Registered company can provide the infrastructure as stated above to any Licensee of Telegraph services licensed under section 4 of the Indian Telegraph Act 1885. The company shall, in no case, grant in any manner the infrastructure to any erstwhile Licensee whose license is either terminated or suspended or not in operation at given point of time. In the event of any infrastructure allowed before hand, then the Registered company shall be obliged to withdraw the grant of infrastructure and to discontinue or sever connectivity immediately without loss of time and further, upon receipt of any reference from the Licensee in this regard, disconnection shall be made effective within a period of receipt of such reference. On the question of discontinuity the decision of the Director General Telecom shall be final.
- 7.0 The Registered company shall provide necessary facilities depending upon the specific situation at the relevant time to the Government to counteract espionage, subversive act, sabotage or any other unlawful activity.
- 7.1 The Registered company shall make available on demand to the agencies authorized by the Government of India, full access to the network for technical scrutiny and for inspection which can be visual inspection or any operational inspection.
- 7.2 All foreign personnel likely to be deployed by the Registered company for installation, operation and maintenance of the Registered company network shall be security cleared by the Government of India prior to their deployment. The security clearance will be obtained from the Ministry of Home Affairs, Government of India, who will follow standard norms in the matter.
- 7.3 The Registered company shall ensure protection of privacy of communication and ensure that unauthorized interception of messages does not take place.
- 7.4 The Government shall have the right to take over the equipment and networks of the Registered company or revoke/terminate/suspend the Registration of the company either in part or in whole as per directions if any, issued in the public interest by the Government in case of emergency or war or low intensity conflict or any other eventuality. Provided any specific orders or direction from the Government issued under such conditions shall be applicable to the Registered company and shall be strictly complied with. Further, the Government reserves the right to keep any area out of the operation zone of the service if implications of security so require.
- 7.5 Government reserves the right to modify these conditions or incorporate new conditions considered necessary in the interest of national security and public interest.
- 7.6 The Registered company will ensure that the Telecommunication installation carried out by it should not become a safety hazard and is or in contravention of any statute, rule or regulation and public policy.
- 8.0 Any breach of the above terms will lead to cancellation of the registration without any further notice.

To
M/S VINHYA TELELINKS LIMITED
PLOT NO. 1C & D, UDYOG VIHAR, P.O. CHORHATA,
REWLA - 485006





(1) To sign all documents related to Right of Way permission for Laying of Optical Fibre Cable Network in the state of Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Uttarakhand & Jammu and Kashmir.

(2) To negotiate on behalf of the Company for the above matters.

(3) To sign and accept all documents related to above matters.

AND I hereby agree that all the deeds and things lawfully done by my said attorney shall be construed as acts, deeds and things done by the company and undertake to ratify and confirm all whatsoever the said Attorney shall lawfully do or cause to be done by virtue of the power hereby given.

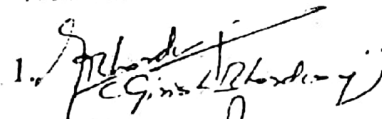
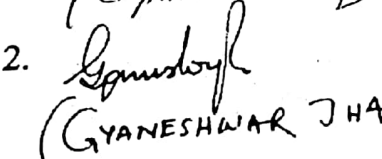
IN WITNESS WHEREOF I have signed the deed on this 25th day of November 2014 at New Delhi.

EXCUTANT

(Y. S. LODHA)

Signature of Mr. Sandeep Rana

WITNESS:

1. 
(G. S. LODHA)
2. 
(GYANESHWAR JHA)



ATTESTED

Notary Public Delhi

25 NOV 2014



FORM -1

Annexure -1

(For linear project)

Government of _____
Office of the District Collector

No

Dated:

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purpose read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that hectares of forest land proposed to be diverted in favour of (name of user agency) for (purpose for diversion of forest land) is district falls within jurisdiction of village (s) in Tehsils. It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meeting of the Forest Right Committee (S) Gram Sabha (s) Sub Division Level Committee (s) and the district Level Committee and enclosed as annexure to Annexure
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights to Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Signature

(full name and office seal of the District Collector)

Form - II

(For projects other than linear projects)

Government of

Office of the District Collector

No.

Date:

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India Letter No 11-9/98 FC (Pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose, it is certified that hectares of forest land proposed to be diverted in favour of within jurisdiction of village in Tehsils.

It is further certified that

- (a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA been carried out for the entire Hectares of forest land and proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meeting of the Forest Right Committee (S) Gram Sabha (s) Sub Division Level Committee (s) and the district Level Committee and enclosed as annexure To annexure
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular / local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of Forest dwellers, who are eligible under the FRA
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s) has certified that all formalities / process under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having the understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of Villages (s) is enclosed as annexure To annexure
- (d) The discussion and decisions on such proposal had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- (e) The diversion of forest land facilities managed by the government as required under section (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (f) The right of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable has been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl : as above

(SIGNATURE)

(Full Name and official Seal of the District Collector)